

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर
आदेश

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-**4908/2017**

यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि.

बनाम

श्रीमती पूनम भगत एवं अन्य

आदेश दिनांक

02 नवम्बर , 2017

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

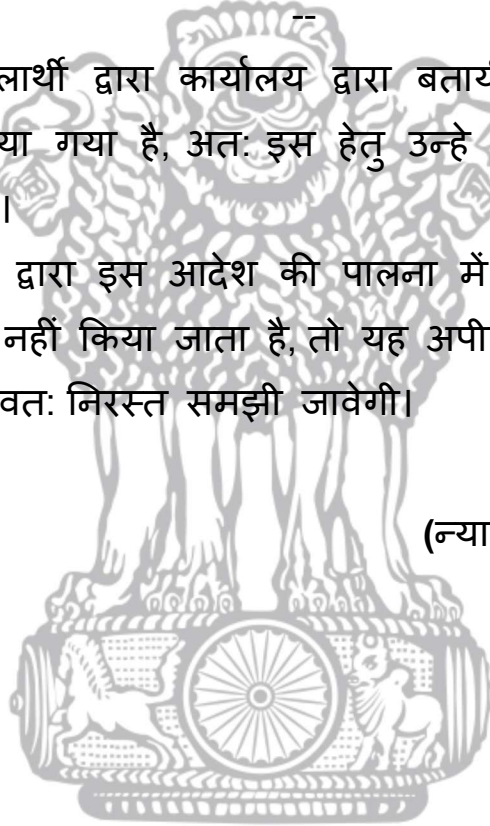
श्री संदीप जैन अधिवक्ता-अपीलार्थी की ओर से

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा कार्यालय द्वारा बतायी गयी त्रुटि को अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है, अतः इस हेतु उन्हें दो सप्ताह का अन्तिम अवसर दिया जाता है।

यदि अपीलार्थी द्वारा इस आदेश की पालना में कार्यालय द्वारा बतायी गयी त्रुटि को दुरुस्त नहीं किया जाता है, तो यह अपील बिना इस न्यायालय के अन्य आदेश के स्वतः निरस्त समझी जावेगी।

(न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा)

अनिलशर्मा/M-19



सत्यमेव जयते